लोकपाल और लोकआयुक्त का इतिहास विश्व व भारत

दयानन्द

न्यायाधीश पी वी मुखर्जी के अनुसार लोकपाल भारतीय संविधान की मौलिक आत्मा के विपरीत है। इसने इसको खतरनाक, आडम्बरी, तानाशाह की यादगार कहा–लोकपाल भारतीय संविधान के अनुरूप हो ही नहीं सकता। यह न्यापालिका, संसद/न्यायपालिका को बदनाम कर देगा। जब पूर्व में स्थापित केन्द्रीय सतर्कता आयोग, सार्वजनिक शिकायतों का आयुक्त, प्रशासनिक विभाग/CBI आदि निगरानी नहीं रख पा रहें तो लोकपाल कौनसा जादू कर देगा। जो एक साथ भ्रष्टाचार खत्म कर देगा। लोकपाल/लोकायुक्त जैसी संस्थान छोटे देशों में ही सफल हो सकते हैं। जहॉ जनसंख्या कम हो जनता पूर्णतया शिक्षित है। भारत जैसे विशाल देश में सम्भव नही है। आम जनता शिकायतों की भरमार कर देगी। अधिकांश झुठी होगी, जिसका निर्णय रखना कठीन आक्षेप है।